बरौदा जलाशय
नस्ती में

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक एक सागर (म.प्र.)

☎ 07582.223809 (सिविल कोर्ट के पास) सागर (म.प्र.) पिन कोड . 470001
E-mail - eewrdno1sgr@gmail.com,

पत्र क्र०.....1679..../कार्य/2018-19 सागर दिनाँक ..22../05/2018

प्रति,

कलेक्टर,
जिला सागर, सागर (म.प्र.)

विषयः– सागर जिले के बंडा विकासखण्ड की खजरा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैर वनभूमि को रहली विकासखण्ड की बरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समायोजित करने बाबत् अनुरोध।

संदर्भः– न्यायालय कलेक्टर सागर के न्याया. प्रकरण क्र. 6अ/19(4) वर्ष 2005–06 में कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.2006, कार्यालय कलेक्टर जिला सागर का पत्र क्र: 1348/री.कले./06 सागर दिनांक 14.02.2006।

-----000-----

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित राजस्व प्रकरण में आदेश दिनांक 10.02.2006 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सागर जिले की सिंचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय की डूब में आने वाली वनभूमि के बदले ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि कुल रकवा 38.28 हे. वन विभाग को हस्तांतरित हुआ है। जिसका परियोजनावार विवरण निम्नानुसार है:–

स.क्र.	परियोजना का नाम	प्रभावित वनभूमि (हे.में)	वन विभाग को हस्तांतरित राजस्व भूमि (हे.में)
1	मंजला जलाशय योजना	18.63	38.28 ग्राम हरद्वानी शासकीय खसरा क्र. 105, 107/1, 107/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 138, 353 एवं 354
2	क्वायला जलाशय योजना	4.026 हे.	
3	खजरा जलाशय योजना	14.26 हे.	

उक्त हस्तांतरित राजस्व भूमि वन विभाग के नाम नामांतरित एवं उनके आधिपत्य में है। उक्त तीन योजनाओं में से खजरा जलाशय योजना के वनभूमि प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्र. 6-MPC036/2007-BHO/4410 दिनांक 03.12.2007 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा एस.ए.जी. म.प्र. दिनांक 01.08.2007 की बैठक में विचारोपरान्त 2300 वृक्षों के पातन एवं मात्र 167 हे. सिंचाई के परिपेक्ष्य में परियोजना सुविचारित मान्य नहीं की गई।

इस परिपेक्ष्य में तत्कालीन कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सागर के पत्र क्र. 1063/वन प्र./कार्य/08 सागर दिनांक 04.04.2008 द्वारा योजना की स्वीकृति को निरस्त करने का प्रस्ताव उच्चाधिकारियों को भेजा गया है।

म.प्र. जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र. 373/22/09/09 भोपाल दिनांक 02.06.2012 में निहित निर्देशानुसार स.क्र. 16 पर दर्शित खजरा जलाशय योजना जिला सागर की स्वीकृति निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र 151 (संशोधित) में भरकर योजना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सुविचारित नहीं होने एवं लागत प्रति हे. अधिक होने के कारण निरस्तीकरण प्रस्ताव कार्यपालन जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजा जा चुका है।

इस प्रकार खजरा जलाशय योजना का निर्माण नहीं किया जा सका है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम हरद्वानी की 14.26 हे. वनभूमि वनविभाग के आधिपत्य में है। जो अतिशेष श्रेणी में है।

सागर जिले के सागर विकासखण्ड की बरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक कुल गैर वनभूमि 21.06 हे. जिसमें से 10.08 हे. भूमि तहसील शाहगढ़ के ग्राम फुलवारी के खसरा नं. 01 में से न्यायालय कलेक्टर सागर के आदेश क्र. 21अ/19(3) वर्ष 17–18 सागर दिनांक 22.05.2018 द्वारा आवंटित हो चुकी है। अतः इस योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक शेष 10.98 हे. राजस्व भूमि खजरा जलाशय हेतु आवंटित 14.26 हे. राजस्व भूमि (जो वनविभाग के पास अतिशेष है) में से समायोजित करने का कष्ट करें। भूमि का खसरा, नक्शा संलग्न है।

सहपत्रः– उपरोक्तानुसार।

(ए.के. चौबे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र०एक,
सागर (म०प्र०)
O/C

पृ0 क्र०1679/कार्य/2018–19 सागर दिनाँक 22/05/2018

प्रतिलिपिः–

1. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल सागर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. वन मण्डल अधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग क्र. 3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्रः– शून्य।

(ए.के. चौबे)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र०एक,
सागर (म०प्र०)
O/C

E:\TS Parihar\2018\05-2018\22-05-2018

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी उत्तर वन मंडल सागर म.प्र.

E-mail :- dfonsagar@mpforest.org: dfotnsagar@mp.gov.in: Phone & Fax No. :- 07582-236337

क्रमांक / मा.चि. / 18 / 1584 सागर, दिनांक 25-6-18

प्रति,

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्रमांक–01
जिला सागर म.प्र.

2232
27-6-18

विषय :– सागर जिले के बण्डा विकासखण्ड की खजरा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित गैरवनभूमि को रहली विकासखण्ड की बरौदा जलाशय योजना के वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समायोजित करने बावत् अनुरोध।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक / 1856 / कार्य / नेतना जला. / 2018–19 दिनांक 05.06.2018.

— 0 —

ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा के अंतर्गत सिचाई योजनाओं में प्रभावित वनभूमि के समतुल्य वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 38.28 हे. वन विभाग को हस्तांतरित की गयी थी, वर्तमान में हस्तांतरित भूमि का वैधानिक स्वरूप वन भूमि है तथा वन विभाग के आधिपत्य में है। उक्त भूमि में से निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्य कराया गया है :–

क्र.	योजना का नाम	वैकल्पिक वृक्षारोपण का रकबा हे.में
1	2	3
1	क्वायला जलाशय	4.026
2	मंजला जलाशय	18.630
3	शेष उपलब्ध भूमि	15.624
	योग :–	38.280

25.6.18

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मंडल, सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)

पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 2193 / (कार्य) बरौदा / 18 सागर दि. 27/6/18

प्रतिलिपि :-

अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग क्र 3 गढ़ाकोटा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्न :- शून्य

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र.
सागर (म.प्र.)

171

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी बण्डा

बण्डा, दिनांक – 20.12.06

कमांक / 8-1

प्रति,

वन मंडल अधिकारी
उत्तर वन मण्डल सागर

विषय :– सिचाई परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशय एवं क्वायला जलाशय के डूब में आई वन भूमि के बदले ग्राम हरद्वानी की राजस्व भूमि का हस्तांतरण।

— 0 —

निवेदन है कि विषयांतर्गत में न्यायालय अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण कमांक 6 अ / 19(4) वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2006 के अनुसार उक्त परियोजना खजरा जलाशय, मंजला जलाशयएवं क्वायला जलाशय के डूब में आई वन भूमि के समतुल्य प्राप्त ग्राम हरद्वानी तहसील बण्डा की शासकीय राजस्व भूमि निम्न खसरों की भूमि वन विभाग को हस्तांतरित की गई है। विवरण इस प्रकार है –

कमांक	खसरा कमांक	रकवा (हे. में)
1	2	3
1	105	2.84
2	107/1	14.67
3	107/2	2.00
4	128	1.11
5	129	0.41
6	130	2.26
7	131	0.42
8	132	0.11
9	133	0.80
10	136	2.40
11	137	7.10
12	138	0.45
13	353	0.48
14	354	3.23
	Total :-	**38.28**

प्रकरण में उपरोक्त खसरों की हस्तांतरित भूमि कुल रकवा 38.28 हे. का मौका कब्जा मेरे द्वारा वन विभाग के कब्जे में कब्जा प्राप्त किया जा चुका है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ संप्रेषित।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

वन मण्डल अधिकारी 1959 20-12-

बण्डा दिनांक –

पृ.कमांक / उप वन मंडल अधिकारी बण्डा को सूचनार्थ अग्रेषित।

प्रतिलिपि :–

TRUE COPY

S. D. O. (F.)
Sub Dn. Banda

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बण्डा

सत्य प्रतिलिपि

उप वन मंडल अधिकारी
बण्डा

REVISED FORM - 151

PROPOSAL FOR DELETION OF MINOR IRRIGATION SCHEMES

NO.	DISCRIPTION	AS PER DPR OF AA OR FEASIBILITY	AS PER LATEST REPORT (DPR on 2007 CSR)	REMARKS
1	NAME OF PROPOSED SCHEME	***KHAJRA TANK***		
2	BLOCK	Banda		
3	IS THE BLOCK ST OR DPAP	No		
4	DISTRICT	Sagar		
5	ASSEMBLY CONSTITUENCY	Banda		
6	PROPOSED (WHO SUGGESTED THE SCHEME)	Hon. Shri Harnam Sing Rathore		
7	PROPOSED RABI IRRIGATION AREA (Ha)	As per DPR rabi 47 Hact. + Kharif 120	As per norms 135	As per 170 Ha./ Mcum
8	BENEFICIARY CULTIVATORS (Nos)	105	105	
9	ESTIMATED TOTAL COST (IN Rs. Lakh)	166.73 (CSR 2003)	307.98	As per UCSR 2007
A	LAND AREA IN HA 37.09 @ Rs. ...... HA COSTING (LAND COST)	-	3.898	
B	CONSTRUCTION COST (IN Rs. Lakhs)	-	163.38	
10	SUBMERGENCE AREA TOTAL (HA)	38.56 Ha	38.56 Ha	
A	GOVERNMENT LAND (HA)	4.89 Ha	4.89 Ha	
B	FOREST LAND (HA)	14.26 Ha	14.26 Ha	
C	PRIVATE LAND (HA)	19.41 Ha	19.41 Ha	
11	COST PER HECTARE (IN RS. LAKHS)	0.998 Lakh / Hact.	2.28 Lakh / Hact.	
12	LAND FOR CANAL (TOTAL) (HA)	3.42 Ha	3.42 Ha	
A	GOVERNMENT LAND (HA)	1.00 Ha	1.00 Ha	
C	PRIVATE LAND (HA)	2.42 Ha	2.42 Ha	
13	CATCHMENT AREA (Sq.Km.)	3.70 Sqm.	3.70 Sqm.	
14	SURFACE WATER QUANTITY (AS PER BINIES TABLE) (MCM)	0.796 Mcum	0.796 Mcum	
15	NAME OF PRESENT EX.ENGINEER	Incum bency during Survey by S.L. Chourasia, E.E. In year 2004	U.R.S. CHOUHAN, E.E	
16	DATE OF INSPECTION OF PRESENT EXE.ENGINEER	-	-	
A	TECHNICALY NOT FEASIBLE REASONS:			
	(i) SUBMERGENCE AREA (29%) IS HIGH	29% is high as compared to 10%		
	(ii) INSUFFICIENT WATER	In sufficient for 167 Ha. Rabi corp		
	(iii) FOREST LAND 37% of total submergence	Forest land submergence is 37 %		
	(iv) DISPLACEMENT OF ___ (Nos.) FAMILIES WOULD BE REQUIRED	Nil		
	(v) STRATA DOES NOT PERMIT BECAUSE	Nil		
	(vi) OTHER REASONS	2300 Trees and 14.26 Hact. Forest land comes under submergence		
B	FINANCIALLY NOT FEASIBLE REASONS:			
	(i) COST ₹ 2.28 PER HA IS VERY HIGH.	Cost will be very high if D.P.R. will be prepared on C.S.R. 2009		
	(ii) R&R COST -₹ IS INVALID .	Nil		
	(iii) FOREST COST -₹ IS INVALID.	Forest cost taken 7.70 Lakhs / Hact. Present cost will be 10 Lakhs / Ha.		
C	SOCIAL REASONS	Private land cost will be 3 Lakhs / Hact. In place of 0.98 Lakhs / Ha. If updated to year 2012. If calculated on C.S.R. 2009 Cost will be approx. 415 31 Lakhs & Per Hact. Cost will be 3.08 Lakhs / Hact. Hence Scheme is not feasible due to 2300 Forest Trees under submergence, 14.26 forest land and per Hact. Higher cost		
17	SIGNATURE OF EXE.ENGINEER WITH DATE	(signature) (U.R.S. CHOUHAN), Executive Engineer, W. R. Dn. No. 1 Sagar		

2756
4-6-12

क्रमांक 373 / 22 / 09 / 09
मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग,
भोपाल

भोपाल दिनाक 2/06/2012

प्रति,

कार्यपालन यंत्री :

1. जल संसाधन संभाग, बैतुल
2. जल संसाधन संभाग, विदिशा
3. जल संसाधन संभाग, ग्वालियर
4. जल संसाधन संभाग, अलीराजपुर
5. जल संसाधन संभाग, खरगोन
6. जल संसाधन संभाग, नीमच
7. जल संसाधन संभाग, बडवानी
8. जल संसाधन संभाग, बालाघाट
9. जल संसाधन संभाग, कटनी
10. जल संसाधन संभाग, सागर
11. जल संसाधन संभाग, देवास
12. जल संसाधन संभाग, दमोह

विषय : **लघु सिंचाई योजनाओं के निरस्तीकरण के प्रस्तावों को प्रपत्र 151 (संशोधित) में प्रस्ताव प्रस्तुत करने बावत् ।**

विषयांतर्गत निर्देशित है कि निम्नानुसार ऐसी योजाओं के नाम उल्लेखित है जो वन प्रभावित है तथा विभिन्न कारणो से, जैसे लागत प्रति हेक्टेयर अधिक होने, जन विरोध होने अथवा अन्य कारणों से निरस्तीकरण हेतु प्रस्तावित हैं।

इन योजनाओं की निरस्तीकरण हेतु जानकारी प्रपत्र 151 (संशोधित) में भरकर दिनांक 5.6.2012 तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रस्तावों पर विचार किया जा सकें। प्रपत्र 151 (संशोधित) को डाउनलो कर समस्त जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित पी.डी.एफ. फाईल तैयार कर ई-मेल पते sem_wrd@yahoo.com पर प्रस्तुत की जावें ।

स.क्र.	योजना का नाम	जिला	स.क्र.	योजना का नाम	जिला	स.क्र.	योजना का नाम	जिला
1	झिरियाडोल जला	बैतुल	8	पिपलई ता.	खरगोन	15	पुरैनी ता.	कटनी
2	हुसैनपुर जला.	विदिशा	9	बलकवाड़ा ता	खरगोन	16	खजारा ता	सागर
3	सेमलखेड़ी तीर्थ	विदिशा	10	उनरिया ता.	खरगोन	17	सबलगढ ता	देवास
4	सिमरिया तालाब	ग्वालियर	11	कलिया खोह ता.	नीमच	18	लोहार पिपरिया तालाब	देवास
5	लिधोरा तालाब	ग्वालियर	12	बरूखनी सालिड वियर	नीमच	19	शाखा जलाशय	दमोह
6	सोमन्यावत ता.	अलीराजपुर	13	सिदडी ता.	धार			
7	तलवाडी ता.	बडवानी	14	आमानाला ता.	बालाघाट			

सहपत्र : उपरोक्तानुसार

(मनीष सिंह)
अपर सचिव
जल संसाधन विभाग, भोपाल